# कार्यालय मुख्य सचिव
## मध्यप्रदेश शासन
**मंत्रालय**

क्र. NHM/RBSK/लोक स्वा.एवं परि.कल्याण/10591 भोपाल, दिनांक 23/09/2015

प्रति,

समस्त, जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

**विषय :–** राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा बावत।

विषयांतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिसम्बर 2013 से प्रांरभ किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड पर दो मोबाईल हेल्थ टीम ग्राम में जाकर 0 से 18 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आंगनवाड़ी केन्द्रों में एवं स्कूलों में कर रही है तथा स्क्रीनिंग उपरांत 4डी से पीड़ित बच्चों को चिन्हांकित कर उन्हें उपचार प्रदान कर रही है। टीम द्वारा स्क्रीनिंग के निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण किया जा रहा है। चिन्हांकित 4डी के समस्त बच्चों का समुचित उपचार उपलब्ध हो यह आपकी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। आर.बी.एस.के. एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है इसके संचालन से शिशु मृत्यु दर में कमी, बच्चों को पूर्ण रूप से विकसित करने, कुपोषण को दूर करने, प्रदेश में विकलांगता के प्रतिशत को न्यूनतम करने, शीघ्र हस्तक्षेप के माध्यम से चिन्हांकित विकलांगता को समय पर ठीक करना एवं उनका पुनर्वास किया जाना महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शीघ्र ही शहरी क्षेत्रों में भी मोबाईल हैल्थ टीम का गठन किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त 0 से 18 वर्ष के बच्चों को स्क्रीनिंग कर उन्हें स्वस्थ रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित पाया जाता है तो उसके उपचार की भी निःशुल्क व्यवस्था निर्धारित पैकेज के अंतर्गत देश एवं प्रदेश के समस्त शासकीय मेडिकल कॉलेज के साथ–साथ प्रदेश शासन के मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कराई जा सकती है।

विकासखण्ड स्तर पर इस कार्यक्रम की समीक्षा हेतु समिति का गठन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में किया गया है जिसकी मॉनिटरिंग प्रतिमाह किया जाना आवश्यक है। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम की प्रतिमाह समीक्षा आपकी अध्यक्षता में गठित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा की जावे। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सहयोगी विभागों में महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग प्रमुख हैं। इन विभागों के मैदानी स्तर के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जावें कि वे स्क्रीनिंग में टीम का सहयोग करें तथा समस्त बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराकर उनकी नियमित एवं निरंतर देखभाल करना सुनिचित करें।

एन.एच.एम. द्वारा राज्य स्तर पर सहयोगी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को राज्य स्तर पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जा रही है, इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे ताकि जिला स्तरीय अधिकारी इस कार्यक्रम के उदेश्यों से अवगत हो सके, और मैदानी स्तर पर कार्यरत कार्यकर्ताओं को आवश्यक सहयोग हेतु निर्देश दे सकें।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तर पर डी.ई.आई.सी. भी खोले जा रहे हैं वर्तमान में इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में 13 डी.ई.आई.सी. खोले जाना है। इस वर्ष के अंत तक प्रदेश में कुल 25 डी.ई.आई.सी.केन्द्र संचालित किये जाने का लक्ष्य है। इन डी.ई.आई.सी. पर डेव्लपमेंटल डिले के बच्चों का उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा जिन जिलों में डी.डी.आर.सी. संचालित हो रहे हैं उन जिलों में चिन्हांकित बच्चों को डी.डी.आर.सी. में कार्यरत मानव संसाधन से डी.ई.आई.सी. के समान सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (डी.ई.आई.सी.) के जिला स्तर पर कार्यक्रम की सफलता आपकी सक्रियता पर निर्भर है अतः उपरोक्तानुसार प्रतिमाह समीक्षा कर कार्यक्रम को गति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें।

14/9/15

(ॲन्टोनी डिसा)
मुख्य सचिव

No/NHM/RBSK/10592 23.09.15

**प्रतिलिपि** :–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल,म.प्र।
2. प्रमुख सचिव, महिला बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
3. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
4. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
5. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
6. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्व, मध्यप्रदेश।
8. मिशन संचालक, एन.एच.एम., भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. डॉ.अजय खेरा, डिप्टी कमिश्नर (आर.बी.एस.के.), लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली।
10. संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
11. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
12. समस्त सिविल सर्जन, मध्यप्रदेश।

मुख्य सचिव